

पत्रांक-योजना बजट-306/2025-6122/प०व०ज०प०

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

पूनम कुमारी,  
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,  
बिहार, पटना

पटना-15, दिनांक-26/11/2025

विषय :- वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2026-27 तक भवन योजनान्तर्गत वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष प्रमंडल-2, बेतिया में ईको टूरिज्म कैम्प के आवासन निर्माण हेतु कुल ₹1855.05 लाख (अठारह करोड़ पचपन लाख पाँच हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसके तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹155.05 लाख (एक करोड़ पचपन लाख पाँच हजार रुपये) मात्र के व्यय की अनुमति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2026-27 तक भवन योजनान्तर्गत वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष प्रमंडल-2, बेतिया में ईको टूरिज्म कैम्प के आवासन निर्माण हेतु कुल ₹1855.05 लाख (अठारह करोड़ पचपन लाख पाँच हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसके तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹155.05 लाख (एक करोड़ पचपन लाख पाँच हजार रुपये) मात्र के व्यय की अनुमति प्रदान की जाती है।

इस योजना का क्रियान्वयन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना के पत्रांक-967, दिनांक-18.11.2025 द्वारा सम्प्रेषित सारांशित कार्य योजना/प्राक्कलन जो परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न है, के अनुरूप किया जायेगा।

2. स्वीकृत राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष-4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-01-वानिकी, लघु शीर्ष-070-संचार तथा भवन, उप शीर्ष-0102-भवन, मांग संख्या-19, विपत्र कोड-19-4406010700102, विषय शीर्ष-0102.53.01-मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध उपबंधित राशि के तहत की जायेगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-उप निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष प्रमंडल-2, बेतिया होंगे तथा राशि की निकासी उनके संबद्ध कोषागार से की जायेगी।

4. इस राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्त नियमावली में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।


5. राशि के अग्रिम निकासी पर वित्त विभागीय पत्रांक-2221 दिनांक-15.04.2020 द्वारा शिथिलीकरण प्राप्त है, अतएव राशि के आवंटन के समय वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.1998 की कंडिका-15 को छोड़कर शेष कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

6. योजना की स्वीकृति को दर की स्वीकृति नहीं माना जाए। इस योजना की स्वीकृति प्राक्कलित दर के आधार पर दी जा रही है। संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार विधिवत् अनुमोदित दर के अनुरूप ही राशि का व्यय किया जायेगा।

7. कार्य स्थल पर कार्य के नियमित पर्यवेक्षण का कार्य संबंधित कार्यकारी विभाग एवं प्रशासी विभाग द्वारा किया जाएगा।

8. इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
9. सामग्री/सेवाओं की अधिप्राप्ति बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 एवं PWD Code में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। असैनिक कार्य, सामग्री का क्रय एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति के संबंध में जहाँ नियमानुसार आवश्यक हो GeM/निविदा संबंधी नियमों का अनुपालन किया जायेगा।
10. योजना क्रियान्वयन का नियमित पर्यवेक्षण प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण कराया जायेगा।
11. योजना के क्रियान्वयन में यदि किसी प्रकार की अनियमितता होती है, तो योजना को क्रियान्वित/निरीक्षण/पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करने वाले पदाधिकारियों की जवाबदेही होगी।
12. संचिका संख्या-306/2025 के पृष्ठ-02/टि० पर दिनांक-21.11.2025 को प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। दिनांक-21.11.2025 को सम्पन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव के स्वीकृति की अनुशंसा की गई है।
13. संचिका संख्या-306/2025 के पृष्ठ-05/टि० पर दिनांक-26.11.2025 को माननीय वित्त मंत्री की स्वीकृति एवं पृष्ठ-08/टि० पर दिनांक-26.11.2025 को प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
- अनुलग्नक - यथोक्त।


विश्वासभाजन

  
(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-योजना बजट-306/2025-6122/प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक-26/11/2025


प्रतिलिपि:- (सानुलग्नक) वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना/संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक एवं वन संरक्षक/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/बजट शाखा (दो प्रतियों में)/आई०टी० (मैनेजर), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-योजना बजट-306/2025-6122/प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक-26/11/2025

प्रतिलिपि :- (सानुलग्नक) संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव

8

ESTIMATE FOR CONSTRUCTION OF "ECO TOURISM CAMP AT VALMIKI NAGAR"							
PRELIMINARY COST OF ESTIMATE BASED ON CPWD PAR 2025							
		Floor	Floor Height in Mts	Area in Sqm			
<b>COMPOSITE STRUCTURE - ECO HUT</b>							
i		Entry Plaza with Security Room	3.6	50			
ii		Resort with reception, restaurant and cottages - 30 nos.	3.6	2475.62			
a		Admin + Cafeteria		858.62			
a		Cottages - 30 nos		1617			
Total Area				2525.62			
Total Land Area				14.75 Acres			
S.NO.	ITEM NO.	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT	RATE	AMOUNT	REMARKS
1		<b>BUILDING COST (SPECIFICATIONS as per ANNEXURE D)</b>					
i	1.2.2	Floor Height upto 3.0 m	2525.62	sqm	20,750	5,24,06,615.00	
ii	1.3.2	Every 0.3 metre or part thereof, additional / less height of floor above normal floor height of 3.60 metre / 3.00 metre (on areas having additional / less height)	2525.62	sqm	868	21,92,238.16	
Sub Total						5,45,98,853.16	(A)
i	2.1	Internal water supply and sanitary installations			12%	65,51,862.38	
ii	2.2.1	Electrical External Service Connections			3.75%	20,47,456.99	
iii	2.3	Internal electric installation			12.50%	68,24,856.65	
Sub Total						1,54,24,176.02	(B)
Total (C+D)-E						7,00,23,029.18	(C)
2	6	Development of Site					
i	6.1	Levelling	61,446.00	per sq m	160.00	98,31,360.00	
ii	6.2.3	Cement Concrete Pavement with vacuum de-watered concrete	9,216.90	per sq m	2,945.00	2,71,43,770.50	
iii	6.2.4	Footpath with PCC base, 60mm thick pavers block and kerb stone edging	9,216.90	per sq m	2,930.00	2,70,05,517.00	
iv	6.3	External Sewerage	1,000.00	per m	4,180.00	41,80,000.00	
v	6.4	Filtered Water Supply					
vi	6.4.1	Distribution Lines upto 100 mm dia	1,000.00	per m	2,170.00	21,70,000.00	
vii	6.4.2	Pheripheral grid 150 mm to 300 mm dia pipes	1,000.00	per m	4,175.00	41,75,000.00	
viii	6.4.3	Unfiltered water supply distribution lines	1,000.00	per m	1,560.00	15,60,000.00	
ix	6.5	Storm water Drain	1,000.00	per m	10,610.00	1,06,10,000.00	
x	6.6	Rain Water Harvesting	1,000.00	per m	2,330.00	2,330,000.00	
xi	6.7	Trenches for Services	1,000.00	per m	7,460.00	74,60,000.00	
3	6.8	Boundary wall with 1500 mm high wall and 600 mm high MS Grill including 2100 mm high steel gates at every 100 meters					
i	6.8.1	With brick work structure with RCC column size 300 x 300 mm @3.0 metre centre to centre and RCC and RCC plinth band of size 300 x 300mm at ground level and coping	1000	per m	13,210.00	1,32,10,000.00	
4	6.9	Horticulture Work					
	6.9.1	Horticulture operations including 500mm earth filling, grassing, Tree plantation/ shrubs and potted plants etc	39939.9	per sq m	578.00	2,30,85,262.20	
Sub Total						20,29,83,938.88	(D)
Reducing 13.04% as contractors Profit (Item 1-4) on D						2,64,69,105.63	
Sub Total						17,65,14,833.25	(E)
Add 10% for furniture on A						54,59,885.32	(F)
<b>GRAND TOTAL</b>						<b>18,19,74,718.56</b>	(G)
Add Consultancy 1.5%						26,47,722.50	(H)
Add Contingency 0.5%						8,82,574.17	(I)
<b>PROJECT COST = (G+H+I)</b>						<b>18,55,05,015.23</b>	(J)

NOTE: ESTIMATE AS BEEN PREPARED AS PER THE CPWD RATE 2023 AND THE DETAILED ESTIMATE WILL BE PREPARED AS PER THE BCD LATEST BIHAR SCHEDULE RATE.

Submitted by RA-18.55.05.015  
 (Eighteen crore fifty five lakh five thousand five hundred and fifteen only)

Conservator of Forest-cum  
 FIELD DIRECTOR  
 VALMIKI TIGER RESERVE  
 Champaran, BETTIAH

D.F.O.-cum-Dy. Director  
 Valmiki Tiger Reserve  
 Champaran-2, Bettiah